न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0–2128/दो/15 जिला–सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश दयाशंकर /रामेश्वर प्रसाद	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
		1
20–10–2015	प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री कुवेर प्रसाद अग्निहोत्री उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक–112/अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक–5.5.15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है,तथा जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे, जो अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश में उल्लेखित है, जिन्हें यहां दुहराया नहीं जा रहा है, किन्तु विचार में लिया जा रहा है । निगरानी मेमों में अंकित बिन्दुओं एवं तथ्यों के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक–14–08–15 का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय विधान की धारा 5 पर सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा अपने आदेश दिनांक–5.5.15 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है, कि "अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण के संलन कार्यवाही की आदेश पत्रिकाओं में कही भी आवेदक के हस्ताक्षर बने होना नही पाया गया ।"जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया, कि आवेदक को तहसीलदार के न्यायालय में पारित आदेश दिनांक–15.12.06 की जानकारी नहीं थी, और धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राहय किया जाकर अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट है, कि प्रकरण में अभी अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है अभी प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत है, जहां पर उभय पक्ष को अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से किसी भी पक्ष के हित भी वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है । उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त आधार न होने से निगरानी अग्राहय की जाती है । पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि. हो । सदस्य	

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म० प्र०)

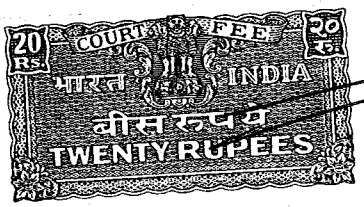

COURT FEE
INDIA
भारत
बीस रुपये
TWENTY RUPEES
20 Rs.

निगरानी 2128-II-15 Rs. 20/-

138
14-5-15

पुनरीक्षण क्रमांक / 2015

दयाशंकर तनय गुरू प्रसाद द्विवेदी उम्र लगभग 74 वर्ष, निवासी ग्राम कमचढ़ तहसील मझौली, जिला सीधी (म०प्र०) ---- आवेदक

बनाम

1. रामेश्वर प्रसाद पुत्र नर्वदा राम उम्र लगभग 64 वर्ष निवासी ग्राम शिकरा, तहसील मझौली, जिला सीधी (म०प्र०)

------ अनावेदकगण

2. मध्य प्रदेश शासन

श्री ...... द्वारा आज दिनांक 14-5-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी मझौली जिला सीधी (मप्र) के राजस्व प्रकरण क्रमांक 112/अपील/06×07 आदेश दिनांक 5.5.2015

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959

क्रमांक 5512
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ......
कलेक्टर
राजस्व मण्डल ग्वालियर

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत है:-

1. यहकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्य विधि एवं निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

2. यहकि अनावेदक क्रमांक 1 जालसाज व्यक्ति है जो आवेदित भूमि खसरा क्रमांक पुराना 50, 51, 52, 54 अधिकार अभिलेख नम्बर 92, 93, 94, 96 वर्तमान खसरा नम्बर 107, 108, 109, 110, किता 4 योग रकवा 5.51 हे० मौजा आमाखोली जिसके संयुक्त भूमिस्वामी नर्मदाराम, रामकिशोर व मुस० गुजरातू बेवा दारिकाराम तनय मंगलराम थे जब विचारण न्यायालय में व्यवहारवाद क्रमांक 335 ए/83 निर्णय दिनांक 12.10.84 विचाराधीन था जिस वादपत्र में स्वयं अनावेदक क्रमांक 1 वादी क्रमांक 4 के रूप मे पक्षकार था तथा उक्त वादपत्र मे मुस० महारानी बेवा रामकिशोर प्रतिवादी क्रमांक 4 के

दयाशंकर